



**कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।**

कार्यालय पता:- नवीन परिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ०प्र० 272207
E-mail:- principalasmcsiddharthnagar@gmail.com Website:- www.asmciddharthnagar.ac.in

पत्रांक:- मे०का०सि०/संविदा विज्ञप्ति/2025/ 11581-88

दिनांक: 15/09/2025

:- संविदा विज्ञप्ति :-

माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा एवं डेजिग्नेट के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक-इन-इन्टरव्यू) पद्धति से चयन किया जाना है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जबतक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से साप्ताहिक के प्रत्येक दिन रविवार को छोड़ कर (अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस) को प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के मध्य साक्षात्कार प्रस्तावित है। पदों का विवरण एवं नियम/शर्तें निम्नवत हैं-

नोट:- सेवारत अथवा सेवानिवृत्त इच्छुक संकाय सदस्य 70 वर्ष की उम्र तक आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं से सेवारत अथवा सेवानिवृत्त परामर्शदाता डेजिग्नेट सह-आचार्य एवं डेजिग्नेट सहायक आचार्य पद हेतु एन०एम०सी० के नवीनतम मानक को पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

Note 1: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.

Note 2: (i) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or

(ii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognised medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or

Sr. No.	Name of Specialization	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. of Post	Category	No. of Post	Category	No. of Post	Category
1	Orthopedics	1	OBC	1	SC	-	-
2	Obstetrics & Gynecology	1	SC	1	UR	1	UR
						1	OBC
3	Emergency Medicine	1	SC	1	OBC	-	-
4	Ophthalmology	1	UR	1	SC	-	-
5	Anatomy*	1	UR	-	-	1	UR
						1	SC
6	Anesthesiology	1	UR	1	SC	1	OBC
						1	SC
				1	UR	2	UR
7	Oto-Rhino-Laryngology	1	OBC	1	UR	-	-
	Community Medicine	-	-	1	UR	1	EWS
				1	SC	1	UR
	R.H.T.C (Medicine Officer- Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	OBC
8	U.H.T.C (Medicine Officer- Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	EWS
	Statistician cum Assistant Professor	-	-	-	-	-	-
9	General Medicine	1	OBC	2	OBC	1	SC
						1	UR
				1	UR	1	OBC
10	General Surgery	1	UR	1	OBC	1	SC
				1	UR	-	-
				1	EWS	-	-
11	Tuberculosis and Respiratory/Pulmonary medicine	-	-	1	SC	-	-
12	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	-	1	UR	-	-
13	Paediatrics	1	OBC	1	OBC	-	-
14	Pathology	1	EWS	1	OBC	-	-
				1	UR	-	-
15	Pharmacology	1	SC	1	SC	1	UR
						-	-
16	Physiology*	1	SC	1	UR	-	-
17	Forensic Medicine	1	UR	1	UR	1	SC
18	Biochemistry*	-	-	1	OBC	1	OBC
19	Microbiology	1	OBC	1	UR	-	-
						1	SC
20	Radiodiagnosis	1	UR	1	OBC	1	SC
21	Dentistry	-	-	1	OBC	-	-
22	Psychiatry	-	-	1	EWS	-	-
Total		16		28		21	

*केवल मेडिकल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

(Signature)

(Signature)



**कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।**

कार्यालय पता:-नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकगार्ग, सिद्धार्थनगर २०२० २७२२०७

E-mail: & principalasmcsiddharthnagar@gmail-com

Website:- www.asmcsiddharthnagar.ac.in

::: Qualification :::

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experienc
Professor (8 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	<p>(a)(i) Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized medical college institution.</p> <p>(ii) Specialist Medical Officer of the Armed Forces having at least three years of experience as Associate Professor in the relevant speciality in a teaching hospital of the Armed Forces; and</p> <p>(b) (i) have published at least two research publications after becoming Associate Professor and must be amongst the first three authors;</p> <p>(ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognised medical institution; and</p> <p>(iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training.</p> <p>Note 1: In the case of Aviation Medicine and Marine Medicine, two years of experience as Flying Squadron for Aviation and two years of experience in a Diving and Escape Training School for Marine medicine, shall be considered equivalent to one-year teaching experience as Associate Professor.</p> <p>Note 2: A Senior Consultant, having three years of experience as post graduate teacher of broad specialty or super specialty subject in the National Board of Examination in Medical Sciences recognised Government medical institute shall be eligible to become Professor in a recognised medical institution of the concerned specialty and total number of years of experience as Post Graduate teacher in National Board of Examination in Medical Sciences recognised government medical institute shall be considered as experience as Professor in a recognised medical institution.</p>
Associate Professor (5 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	<p>(a) (i) Assistant Professor in the subject for four years in a recognised medical institution or for five years for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institution; or</p> <p>(ii) a Specialist Medical Officer of the Armed Forces, having at least five years of clinical experience in the relevant specialty after obtaining the recognised Postgraduate qualification in the subject, of which at least three years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces; and</p> <p>(b) (i) have published at least two research publications after becoming Assistant Professor and must be amongst first three authors;</p> <p>(ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution designated by the Commission; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training.</p> <p>Note 1: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine, maximum of four years' experience in Flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools, respectively, will be considered equivalent to two years of teaching experience for becoming Associate Professor.</p> <p>Note 2: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.</p>
Assistant Professor	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	<p>(i) One year as Senior Resident/Demonstrator/Tutor in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college after acquiring MD/MS/Phd Degree.</p> <p>(ii) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or</p> <p>(iii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognised medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or</p> <p>(iv) diploma holders working as Specialist or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government medical Institution running National Board of Examination and Medical Science recognised teaching programme having cumulative experience of six years.</p>



कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय पता:-नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ०प्र० 272207
E-mail:-& principalasmcsiddharthnagar@gmail.com Website:- www.asmcsiddharthnagar.ac.in

1. इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि National Medical Commission द्वारा निर्धारित नवीनतम/अद्यतन नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. आयु:- उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम उम्र 26 से कम एवं अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. नॉन मेडिकल अभ्यर्थी को एन०एम०सी० गजट नोटिफिकेशन दिनांक-30.06.2025 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 11 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता रेगुलर ऑन कैम्पस है कि शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
4. एन०एम०सी० के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षणिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्री की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत् है-
5. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020 दिनांक 18 जुलाई 2024 में निहित (पुनर्निर्धारित नियत मानदेय) प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।
6. वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
7. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी।
8. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
10. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिनक/आपदा सेवाओं के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
11. संविदा पर नियुक्त कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती अथवा नियमित अभ्यर्थी मिलने तक अथवा स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने अथवा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सेवायोजित अभ्यर्थी की तैनाती होने अथवा सम्बन्धित विभाग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ये नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश/निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।
12. सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
13. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी / नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
15. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. शासनादेश संख्या-367/71-1-2020-जी-195/2015 टी.सी. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गों के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
18. संविदा के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमानुसार भरा जायेगा।
19. उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: मे०का०सि०/संविदा विज्ञप्ति/2025/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-तदिनांकित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशक की आधिकारिक वेबसाइट <https://dgme.up.gov.in/> पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/आगरा/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बौदा/बदायूँ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को प्रमुख प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु प्रमाणित बिल की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।
6. सापटनिक्स इंडिया, गोलघर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को चिकित्सा महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर की नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।



कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय पता:-नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ०प्र० 272207

E-mail:-& principalasmcsiddharthnagar@gmail.com

Website:- www.asmciddharthnagar.ac.in

1. इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि National Medical Commission द्वारा निर्धारित नवीनतम/अद्यतन नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. आयु:- उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष की 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम उम्र 26 से कम एवं अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. नॉन मेडिकल अभ्यर्थी को एन०एम०सी० गजट नोटिफिकेशन दिनांक-30.06.2025 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 11 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता रेगुलर ऑन कैम्पस है कि शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
4. एन०एम०सी० के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षणिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत् है-
5. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020 दिनांक 18 जुलाई 2024 में निहित (पुनर्निर्धारित नियत मानदेय) प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।
6. वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
7. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी।
8. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
10. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिनक/आपदा सेवाओं के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
11. संविदा पर नियुक्त कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती अथवा नियमित अभ्यर्थी मिलने तक अथवा स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने अथवा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सेवायोजित अभ्यर्थी की तैनाती होने अथवा सम्बन्धित विभाग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ये नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश/निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।
12. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
13. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी / नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
15. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. शासनादेश संख्या-367/71-1-2020-जी-195/2015 टी.सी. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गों के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
18. संविदा के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमानुसार भरा जायेगा।
19. उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: मे०का०सि०/संविदा विज्ञप्ति/2025/ 11581-88

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-तदिनांकित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशक की आधिकारिक वेबसाइट <https://dgme.up.gov.in/> पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/आगरा/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बाँदा/बदायूँ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को प्रमुख प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु प्रमाणित बिल की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।
6. सापटनक्स इंडिया, गोलघर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को चिकित्सा महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर की नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।



**MADHAV PRASAD TRIPATHI MEDICAL COLLEGE
SIDDHARTH NAGAR, UTTAR PRADESH-272207**

Application Format

Advertisement Number and Date.....
Post.....Dept.....(The Post for which the application being made)

Note:-All information must be completed by the applicant.

1. Name of Applicant.....
2. Male/Female.....
3. Father/Husband's Name (including Surname).....

Self Attested Photo

4. Present Address of Residence (Including PIN code).....
.....
.....

Name of The City.....Phone No.....

Mobile Number.....Email ID.....

5. Permanent Address.....
.....

Name of The City.....Mobile No.....

6. Adhar Card Number.....

7. Date of Birth (enclose the mark sheet of high school Examination).....

8. Age of applicant as on (01-07-2025) Day.....Month.....Year.....

9. Applicant's Marital Status- Married/Unmarried.....

10. Date of Marriage.....

11. Category: Unreserved/Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes
/Disabled.....

(Attach Photocopy of certificate issued by competent authority for reserved category)

12. Registration Number and Name of the Medical Council and Date.....

A- MBBS.....

B- MD/MS.....

C- MCH/DM.....

13. Education Qualification: (Enclose attested photo copies of certificates and marks Sheets)

No.	Name of the examination	Institution/ Board/University	Year	Subject	Marks Obtained/ Max Marks	MBBS Total Marks/ Percentage	Effort (attempts)
1	MBBS						
2	MD/MS						
3	DM/MCH						

14. Teaching Experience:-

No.	Designation	From	To	Duration	Name of the Institutions
1	Professor				
2	Associate Professor				
3	Assistant Professor				
4	SR /Tutor/ Demonstrator				

(Attach Photocopy)

15. Research Publications:-

No	Designation	Research Publications
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	
4	SR /Tutor/ Demonstrator	

(Attach Photocopy)

16. If candidates serving in Government/Quasi Government or Public Sector are advised to submit "No Objection Certificate" from their employer at the time of interview, failing which their candidature may not be considered.

17. Demand Draft: DD No.....Amount.....Bank Name.....Issue Date.....

18. List of attached certificates as per checklist.....

19. To be filled by Phd Candidates ONLY: (Self-Declaration)

a. I have a Phd degree in the requisite subject as per latest NMC Norms.

Date.....

Place.....

//Announcement//

1. I Certify that the above mentioned information given by me is complete and true. In the event of information being false, my application form/appointment letter can be cancelled.

2. I Certify that I have not been found guilty by any court of any offense of moral decimation nor is there any such case against me in my jurisdiction.

Place.....

Date.. ..

Full name and signature of the applicant

//Checklist//

Name of Applicant.....

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Demand Darft | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Self attested Phtograph | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Adhar Card & PAN Card | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Category Certificate | <input type="checkbox"/> |
| 5 | DOB Certificate/ High School Certificate | <input type="checkbox"/> |
| 6 | UG, PG Marksheet | <input type="checkbox"/> |
| 7 | UG, PG Registration | <input type="checkbox"/> |
| 8 | UG, PG, Ph.D Degree | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Expirience Certificate | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Research Publications | <input type="checkbox"/> |
| 11 | NOC if in Government Service | <input type="checkbox"/> |
| 12 | MET Certificate (If applicable) | <input type="checkbox"/> |
| 13 | BCBR Certificate (If applicable) | <input type="checkbox"/> |

signature of the applicant

Place.....

Date.....